

पीडित पक्ष के विधिक की सूचना (ऐसे बंदी जिनके पीडित पक्ष/वारिसान के चिन्हकरण हो चुका है परन्तु बैंक डिटेल के अभाव में भुगतान शेष है की सूचना प्रपत्र-2)

क्र. स.	बंदी का नाम व वल्लियत	एफ.आई.आर. संख्या	थाना जिसमें एफ.आई.आर. दर्ज है।	पीडित पक्ष का नाम मय वल्लियत	जिला	चिन्हित पीडित पक्ष को कुल देय राशि
1	सूचना शून्य शूमार की जावें।					
2						
3						
4						
5						
6						